मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक : एफ–9–1/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक : 22/2/2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,

समस्त संभागीय कमिश्नर,

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त कलेक्टर,

मध्य प्रदेश ।

विषय :– समस्त कर्मचारियों के एम्पलाई डाटाबेस में जन्मतिथि (Date of Birth) की प्रविष्टि सही तथा पूर्ण करने बाबत् ।

––00––

जैसा कि सर्वविदित है कि राज्य शासन द्वारा पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु जिला पेंशन कार्यालयों की स्थापना की गयी है । पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु यह आवश्यक है कि विभागवार तथा माहवार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार की जावे । वर्तमान में राज्य में समस्त कर्मचारियों का एम्पाई डाटाबेस तैयार कर वेतन आहरण ई–पेमेंट के माध्यम से किया जा रहा है परंतु एम्पलाई डाटाबेस में कर्मचारियों की जन्मतिथि की प्रविष्टि अभी भी शतप्रतिशत सही नहीं है । अतः आप अपने जिले के समस्त कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की जन्मतिथि एम्पलाई डाटाबेस में सही कराने की कार्यवाही 10 मार्च 2012 तक की जानी सुनिश्चित करायें । जिले में स्थित समस्त कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय

के कर्मचारियों की जन्मतिथि Employee database में सही प्रविष्टि कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र जिला कोषालय अधिकारी को प्रस्तुत करें ।

2. जन्मतिथि की प्रविष्टि सेवापुस्तिका के आधार पर एकदम सही हो, यह डीडीओ. द्वारा सुनिश्चित किया जावे । उपरोक्त प्रकिया के साथ ही कार्यालय प्रमुख आगामी 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की माहवार सूची तैयार कर जिला पेंशन अधिकारी को उपलब्ध करायें । यह कार्यवाही समय सीमा में आवश्यक रूप से पूर्ण की जावे ताकि आगामी वित्तीय वर्ष 2012–13 से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची सिस्टम से निकाली जा सके ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजयनाथ) 14.2.2012
प्रमुख सचिव,
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ–9–1/2012/नियम/चार भोपाल, दिनांक 22/2/2012
प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म0प्र0, पर्यावास भवन, भोपाल ।
2. आयुक्त, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, म0प्र0 भोपाल ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, म0प्र0 ।
4. समस्त कोषालय अधिकारी, म0प्र0
5. समस्त जिला पेंशन अधिकारी, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(डी.के. सक्सेना)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग